[1]वन सुरक्षा पुरस्कार नियम 2004

अधिसूचना क्र. एफ 25-20-2004-दस-3 दिन. 30 अक्टोबर 2004 - भारतीय वन अधिनियम (427) (1927 का 16) की धारा 76 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा निम्न लिखित नियम बनाती है, अर्थात्

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ''मध्य प्रदेश वन सुरक्षा पुरस्कार नियम 2004'' है।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण म.प्र. राज्य पर होगा।

(3) ये ''मध्य प्रदेश राजपत्र'' में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16);

(ख) ''वन संरक्षक'' से अभिप्रेत है, किसी वन वृत्त का कोई भारसाधक अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित किया गया हो;

(ग) ''वन मण्डलाधिकारी'' से अभिप्रेत है किसी वन मण्डल का कोई भारसाधक अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित किया गया हो;

(घ) ''अन्य वस्तुएं'' से अभिप्रेत है, कोई यान, उपकरण, पशु शस्त्र, औजार या कोई अन्य सामग्री जो किसी वन अपराध को करने में उपयोग में लाई गई हो;

(ङ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जिनका इन नियमों में प्रयोग किया गया है किन्तु जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ होगा, जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

3. पुरस्कार - किसी वन अपराध के अभिकथित अपराधी की दोषसिद्धि पर या उसके वन अपराध के शमन पर, वन मण्डलाधिकारी, किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को, जिसने/जिन्होंने वन अपराध के पता लगाने में, अपराधी को पकड़ने में, अपराधी की दोषसिद्धि में या वन उपज तथा अन्य वस्तुओं के अधिहरण (जब्ती) में असाधारण सहायता की हो, कोई पुरस्कार, ऐसे अनुपात में जैसा वह उचित समझे, स्वीकृत तथा संदाय कर सकेगा। पुरस्कार की राशि किसी भी दशा में अधिनियम की धारा 68 के अधीन स्वीकृत मुआवजा की राशि तथा वन उपज और अन्य वस्तुओं के अधिहरण (जब्ती के मूल्य या रुपये पच्चीस हजार, जो भी कम हो) से अधिक नहीं होगी। [2]{परन्तु वन्य पशु के शिकार तथा ऐसी वनोपज जिसके मूल्य का निर्धारण न हो सके के मामले में नियम 68 का प्रावधान लागू नहीं होगा।}

परन्तु यह और भी कि रुपये दस हजार से अधिक राशि के पुरस्कार के लिये सम्बन्धित वन संरक्षक की पूर्व स्वीकृति आपेक्षित होगी।

परन्तु यह और कि उप वन मण्डलाधिकारी तथा उपखण्ड पुलिस अधिकारी की श्रेणी से ऊपर की श्रेणी के अधिकारी, इन नियम के अधीन किसी पुरस्कार के हकदार नहीं होंगे।

4. मंजूरी प्राधिकारी - पुरस्कार, सम्बन्धित उप वन मण्डलाधिकारी की सिफारिश पर या सम्बन्धित वन मण्डलाधिकारी द्वारा स्वविवेक से या किसी पात्र व्यक्ति द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर मंजूर किया जाएगा।

---

1. म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 30.10.2004 पृष्ठ 995-996 पर प्रकाशित।

2. अधि. क्र. 8-8-05 जो म.प्र. राजपत्र दिनांक 8.8.05 पृष्ठ 986 पर से जोड़ा गया

5. पुरस्कार की वसूली - यदि पुरस्कार के संदाय के पश्चात् अपील में दोषसिद्धि उलट दी जाती है, जो पुरस्कार में संदत्त राशि उन व्यक्तियों से जिन्हें वन संदत्त की जा चुकी है, तब तक वसूल नहीं की जाएगी जब तक कि यह प्रतीत न हो कि उन्होंने उस मामले में कपटपूर्वक कार्य किया है।

[1]6. गुप्त व्यय - वन मण्डलाधिकारी वन अपराधी के सम्बन्ध में आसूचना एकत्रित करने के लिए आवश्यकतानुसार, आकस्मिक व्यय मन्जूर कर सकेगा। यह व्यय गुप्त रखा जावेगा और वन मण्डलाधिकारी पर प्रशासनिक नियंत्रण का प्रयोग करे वाले अधिकारी के सिवाय किसी कार्यालय या न्यायालय द्वारा परीक्षण के लिए नहीं मांगा जावेगा। वन मण्डलाधिकारी, ऐसे भुगतान प्राप्त करने वालों की सूची अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखेंगे।

7. निरसन एवं व्यावृत्ति - ऐसे समस्त नियम तथा आदेश जो इन नियमों के तत्स्थानी हों और इन नियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवत्त हों, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के सम्बन्ध में एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों या आदेशों के अधीन किया गया आदेश या की गई किसी कार्रवाई के सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन किया गया है या की गयी है।